

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं: सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/ MEMO/2020

दिनांक : 28 / 03 /2020

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान एवं समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी/
समन्वयक/छात्र कल्याण अधिष्ठाता/चीफ प्राक्टर/समस्त वार्डन
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

विषय : कोरोना वायरस(COVID-19) के प्रसार की रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए "वर्क फ्राम होम" के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के पत्रांक 591/सत्तर-1-2020 दिनांक 27 मार्च, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र में कोविड-19 के व्यापक प्रसार को देखते हुए उसकी रोकथाम हेतु शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए "वर्क फ्राम होम" के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं-

- 1- समस्त महाविद्यालयों/शैक्षिक संस्थानों में परीक्षाएँ एवं मूल्यांकन कार्य दिनांक 14-04-2020 तक स्थगित रखा जाय।
- 2- शिक्षण संस्थाओं के फ़ैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 14-04-2020 तक "वर्क फ्राम होम" की अनुमति दी जाय।
- 3- शिक्षण संस्थाओं के फ़ैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के द्वारा निम्न शैक्षिक क्रियाकलापों/गतिविधियों का संचालन किया जायेगा -
 - (क) ऑनलाइन पाठ्यसामग्री तैयार करना, ऑनलाइन शिक्षण कार्य तथा ऑनलाइन मूल्यांकन कार्य करना।
 - (ख) लेसन प्लान तैयार करना और शिक्षण सामग्री आगामी शैक्षणिक सत्र/सेमेस्टर के लिए तैयार करना।
 - (ग) शोध कार्य जारी रखना।
 - (घ) आर्टिकल, पत्र इत्यादि लिखना।
 - (ङ.) प्रश्न कोष के लिए नवाचारी प्रश्नों को तैयार करना।
 - (च) "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के सम्बन्ध में नवाचारी प्रोजेक्ट तैयार करना।
- 4- फ़ैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा तदर्थ एवं संविदा शिक्षकों, जिनकी संविदा दिनांक 14-04-2020 तक वैध है, की उपरोक्त अवधि की गणना सेवावधि के रूप में की जायेगी।

कमशः पृष्ठ ..2.

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR



कल्याणपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR


दिनांक : 28 / 03 / 2020

संदर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/ MEMO/2020

(2)

- 5- जो छात्र, विशेष रूप से विदेशी छात्र, छात्रावासों में अभी भी निवास कर रहे हैं, वे अपने छात्रावासों में रहेंगे और आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे।
- 6- फ़ैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा अपने सम्पर्क सूत्र यथा मोबाइल नं०/ई-मेल आदि अपनी संस्थाओं को उपलब्ध करायेंगे ताकि विशेष परिस्थितियों में उनसे सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

उक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


डॉ०(अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अधिकारीगण।
3. समस्त वार्डन, महिला/पुरुष छात्रावास, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर।
4. कुलानुशासक, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, सी०एस०जे०एम० विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को सम्बन्धित समस्त महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन तथा विश्वविद्यालय परिसर के समस्त विभागों के लॉगिन पर तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट के होम पेज पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
8. वैया० सहायक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
9. गार्ड फाइल।


कुलसचिव